


अल्पसंख्यकों के अधिकार



अल्पसंख्यकों पर विवाद →

- ① निर्धारण का कोई आधार नहीं है -
- ② जनसंख्या
- ③ आर्थिक स्थिति

② धार्मिक एवं आषामी अल्पसंख्यकों के निधरण का आधार पृवक क्यों?

③ अल्पसंख्यक (मंत्रालय)

- छात्र वृत्त
- कौचिंग
- ऋण

④ नागरिक अधिकार की बात होनी चाहिए।

अल्पसंख्यक अधिकारों की आवश्यकता क्यों? →

- a. लोकतंत्र
- b. संसद निवीचित
- c. बहुमत सांसद हिन्दू धर्म से
- d. बहुमत धर्मावलंबियों के पक्ष में कानून।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान →

T. MA पाई फाउन्डेशन वाद (२००२) में कहा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित है वही अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है।

यह 2 प्रकार की हो सकती है -

- (i) राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त हो।
- (ii) राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त नहीं हो।

अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की फायदा →

- # अपने प्रबन्धन का अधिकार
- # अपने समुदाय के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता
- # शिक्षक व स्टाफ की भर्ती भी अपने समुदाय से कर सकते हैं।
- # अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अलग से आरक्षण लागू नहीं।
- # फीस का निर्धारण स्वयं के अनुरूप

T.M.A पाई फाउंडेशन वाद में कहा गया कि →

- राज्य का नियंत्रण
- अकादमिक सत्र का निर्धारण - (UGC/CBSE)
- गुणवत्ता

- डौनेशन नईल लललल ललललल
- शडडौशन की डुरकलल डलरदशी डीडी ।

